Restoration of Confidence Among Overseas Investors

990. SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that London-based Indian Merchants Association representing non resident Indian investors urged Government to convene conference to restore confidence among the overseas investors which has been eroded by the recent controversy over takeover bids; and

(b) if so, the reaction of Government in this matter ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) No, Sir. While the Indian Merchants Association, London, has made a few suggestions regarding NRI facilities it has not given any suggestion to convene a conference.

(b) Does not arise.

Policy Regarding Loan From IMF

991. PROF. MADHU DANDAVATE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have changed its policy regarding the quantum of loan from the International Monetary Fund;

(b) if so, the salient features of the change of policy;

(c) the factors that prompted this change; and

(d) reaction of the I.M.F. towards this change ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) to (c) India has informed the Fund of its decision not to draw the balance of SDR 1.1 billion available under the EFF Arrangement with the Fund after the completion of 1983-84 programme as the balance of payments position has been stronger than envisaged in the EFF Arrangement.

(d) The decision of the Government of India was widely welcomed in the Fund. The Fund authorities noted that the decision was a measure of the success of the Indian programme and it would strengthen Fund's liquidity position for assistance to other developing countries.

सोवियत संघ द्वारा निजी क्षेत्र को उदार शर्तों पर ऋण देने की पेशकश

992. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :**
श्री मनोहर लाल सैनी :
श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ ने हमारे देश में निजी क्षेत्र को उदार शर्तों पर ऋण देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सोवियत संघ ने सार्वजनिक क्षेत्र को भी ऐसी पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) : समाचार पत्रों में यह समाचार था कि सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ सोवियत उपस्करों की खरीद के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को ऋण/वित्तीय सहायता की पेशकश कर सकता है। इस सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि यह उल्लेख किया जा सकता है कि भारत सरकार और सोवियत समाजवादी

जनतंत्र संघ की सरकार के बीच दिनांक 30-4-81 के विलंबित अदायगी नयाचार के अनुआर सोवियत संभरक, भारतीय आयातकों को, चाहे वे सरकारी क्षेत्र के हों या गैर-सरकारी क्षेत्र के, सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ से कतिपय विशिष्ट मशीनों और उपस्करों की खरीद के लिए संभरक ऋण के रूप में विलंबित अदायगी की सुविधाओं की पेशकश कर सकते हैं जिन शर्तों पर संभरक ऋण दिए जाते हैं वे ये हैं : 7½ प्रतिशत प्रत्येक की दो नकद अदायगियां और शेष 85 प्रतिशत की अदायगी 4 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज सहित 10 वर्षों की अवधि में ।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों, आदिवासियों तथा पिछड़े वर्गों को दिये गये ऋणों की वसूली

993. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-84 के दौरान बिहार के हजारीबाग तथा गिरिडीह जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के कृषकों को दिये गये ऋणों को जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है तथा सरकार द्वारा दी गई राज सहायता की धनराशि को वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं में जमा न किए जाने के कारण ब्याज रहित राशि पर भी ब्याज वसूल किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य विकास कार्यक्रम सफल नहीं हो रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को जनता से बैंक प्रबंधकों, लेखाकारों, पशु पालन प्रभारी अधिकारियों तथा अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा ऋणों के वितरण में कदाचारों तथा भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो उन पर कोई ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उपर्युक्त दोनों जिलों में अब तक वितरित ऋणों की धन राशि को दर्शाते हुए इस प्रकार के बैंकों की क्या संख्या है तथा ऐसे बैंकों में सरकारी राज सहायता की राशि को जमा कराने की क्या दर है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकार को बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और किसानों से ऋणों की जबरदस्ती वसूली अथवा ब्याज मुक्त ऋणों पर ब्याज लेने की कोई जानकारी नहीं है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने वर्ष 1982-83 के दौरान बिहार के हजारीबाग और गिरिडीह जिलों में काफी प्रगति की है । उपलब्ध सूचना के अनुसार 1982-83 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हजारीबाग और गिरिडीह जिलों में क्रमश: 130 लाख रुपये और 77.23 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का उपयोग किया गया । इसके आधार पर हजारीबाग जिले में 312.27 लाख रुपये और गिरिडीह जिलें में 177.89 लाख रुपये के सावधि ऋण दिये गये । वर्ष के दौरान हजारीबाग जिले में कुल 14329 हिताधिकारियों को सहायता प्रदान की गयी जिसमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों का हिस्सा 50% से अधिक था । इस प्रकार गिरिडीह जिले में 7237 हिताधिकारियों की सहायता की गयी जिसमें से अनुसूचित जातियों/अनु-